न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नंबर 2022/245

1. नाथू पुत्र महादेव जाति गुर्जर निवासी ग्राम पाली तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. रामकरण पुत्र ग्यारसीलाल गुर्जर निवासी ग्राम पाली तहसील जमवारामगढ।
2. सुरज्ञान पुत्र रामधन जाति गुर्जर निवासी ग्राम पाली तहसील जमवारामगढ।
3. जगदीश पुत्र रामधन जाति गुर्जर निवासी ग्राम पाली तहसील जमवारामगढ।
4. राजेश पुत्र मूंगाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम पाली तहसील जमवारामगढ।
5. बाबूलाल पुत्र गोटाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम पाली तहसील जमवारामगढ।
6. श्रवण पुत्र महादेव जाति गुर्जर निवासी ग्राम पाली तहसील जमवारामगढ।
7. धारासिंह पुत्र कल्याण जाति गुर्जर निवासी ग्राम पाली तहसील जमवारामगढ।
8. रामजीलाल पुत्र छोटू जाति गुर्जर निवासी ग्राम पाली तहसील जमवारामगढ।
9. गोपाल पुत्र कालू जाति गुर्जर निवासी ग्राम पाली तहसील जमवारामगढ।
10. लल्लू पुत्र गुल्ला जाति गुर्जर निवासी ग्राम पाली तहसील जमवारामगढ।
11. भैरू पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम पाली तहसील जमवारामगढ।
12. कानाराम पुत्र मन्ना जाति गुर्जर निवासी ग्राम पाली तहसील जमवारामगढ।
13. झूंथाराम पुत्र भौरीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम पाली तहसील जमवारामगढ।
14. ननगराम पुत्र गोपीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम पाली तहसील जमवारामगढ।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ जिला जयपुर।

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 03.08.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0 प्रार्थना पत्र संख्या 107/2020 उनवान रामकरण बनाम सुरज्ञान वगै0।

उपस्थित–

1. श्री रामकरण शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. श्री सियाराम शर्मा वकील रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री संजय बत्रा, दिनेश दत्त शर्मा वकील रेस्पोडेण्ट संख्या 12, 13 की ओर से।
4. राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पोडेन्ट नं. 15 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–14.05.2025

संभागीय आयुक्त
जयपुर

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 03.08.2021 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर वाके ग्राम तन पाली तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 774 रकबा 1.0100 है0 की सीमाज्ञान दिनांक 08.07.2020 मुताबिक पत्थरगढी किये जाने हेतु निवेदन किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त खसरा नम्बरा के सीमाज्ञान दिनांक 08.07.2020 के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिनांक 03.08.2021 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 03.08.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट नाथू पुत्र महादेव जाति गुर्जर द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर दिनांक 03.08.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी इस आश्य के साथ प्रस्तुत किया किवाके ग्राम तन पाली तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 774 रकबा 1.0100 है0 का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है एवं आये दिन पडौसी खातेदारान् से आपसी विवाद होने के कारण सीमाज्ञान दिनांक 08.07.2020 मुताबिक पत्थरगढी किया जावे जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त खसरा नम्बर के सीमाज्ञान दिनांक 08.07.2020 के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिनांक 03.08.2021 को दिये गये। उक्त आदेश बिल्कुल गलत अवैध है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि गैर0मु0 नले की भूमि है जिस पर रेस्पो0 संख्या 1 का कब्जा नहीं है अपीलांट का कब्जा है। रेस्पो0 बेदखली की कार्यवाही नहीं कर पत्थरगढी के आदेश से बेदखल करना चाहता है। कब्जे के अभाव में पत्थरगढी की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। उक्त तथ्यों के बाद तहसीलदार द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। अपीलाधीन भूमि गैर0मु0 नले की भूमि होने से अधीनस्थ

संभागीय आयुक्त

न्यायालय को उसके रेफरेन्स हेतु तहसीलदार को हिदायत देना न्यायोचित था जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्थरगढी किये जाने के विधिविरूद्ध आदेश पारित किये हैं। रेस्पो0 संख्या 1 मिन अपीलांट की कब्जेशुदा आराजी में कब्जा करना चाहता है।ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यात्मक व वास्तविक तथ्यों का अवलोकन किये बिना तथा बिना मौके की रिपोर्ट तलब किये ही पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 03.08.2021 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम तन पाली तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 774 रकबा 1.0100 है0 का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है एवं अपीलांट का उक्त भूमि से कोई लेना–देना नहीं है। आपसी विवाद ना हो इसलिए प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का विधिवत सीमाज्ञान तहसीलदार द्वारा दिनांक 08.07.2020 को सीमाज्ञान किया गया। उक्त सीमाज्ञान दिनांक 08.07.2020 के अनुसार ही प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष विधिवत् अपनी खातेदारी की भूमि की पैमाइश पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 पेश किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ द्वारा विधिवत् प्रार्थी के प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त खसरा नम्बर के सीमाज्ञान दिनांक 08.07.2020 के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये गये। जो कि उचित एवं विधिसम्मत् है। प्रत्येक खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपनी खातेदारी की भूमि की विधिक प्रक्रिया के तहत नियमानुसार शुल्क जमा कर पत्थरगढी पैमाईश करवा सकता है। अपीलांट द्वारामाननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थीको हैरान–परेशान करने की नियत से असत्य, मिथ्या बनावटी तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट भी राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा–128 के तहत् अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश व पत्थरगढी करवा सकता है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

7. हमने प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों व दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अतः न्यायहित में दफा–5 के अंकित कथनो पर विश्वास करते हुये अपीलाधीन आदेश की जानकारी देरी से प्राप्त होने एवं नकल दिनांक 10.05.2022 को प्राप्त होने से नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम

संभागीय आयुक्त
जयपुर

स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ द्वारा अपीलांट को जवाब एवं सुनवाई, साक्ष्य एवं सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सीमाज्ञान दिनांक 08.07.2020 के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिनांक 03.08.2021 को दिये गये है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि वह अपनी खातेदारी की भूमि की विधिक प्रकिया के तहत पत्थरगढी पैमाईश करवा सकता है। रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा विधिक प्रकिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया है। जिसका वह विधिक अधिकारी भी है। फिर भी अगर अपीलांट को आपत्ति है तो वह अपनी खातेदारी भूमि की विधिक प्रकिया के तहत आवेदन कर पैमाईश व पत्थरगढी करवा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर का अपीलाधीन आदेश उचित व विधिसम्यक है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समक्षते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 03.08.2021 यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।